

**विभिन्न लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस एवं देशी/विदेशी मदिरा के लेबल रजिस्ट्रेशन फीस का विवरण**

क्र.	अनुज्ञप्ति का नाम	विवरण	फीस का नाम	वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (नवीन/नवीनीकरण लायसेंस हेतु)
1	2	3	4	5
1	डी.-1	आसवनी अनुज्ञप्ति (स्प्रिट का उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 20,00,000
2	सी.एस.1	सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय अनुज्ञप्ति (प्रति भण्डारण भाण्डागार)	लायसेंस फीस	रुपये 50,000
3	सी.एस.1-ख	देशी मदिरा विनिर्माण अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000
4	सी.एस.1-खख	देशी मदिरा विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति (प्रति फ्रैन्चाईसी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
5	सी.एस.-1 ग	देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति (सी.एस.बी.सी.)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000
6	सी.एस.-2(घघ)	देशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
7	सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट)	देशी मदिरा दुकान से देशी व विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000
8	एफ.एल.-1(घघ)	विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
9	एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट)	विदेशी मदिरा दुकान से विदेशी व देशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000
10	एफ.एल.3	होटल बार अनुज्ञप्ति (टीप:- नगर की सीमा से 10 कि. मी. परिधि में स्थित होटल/ रेस्टोरेन्ट के लिए अनुज्ञप्ति फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो.)	लायसेंस फीस	रुपये 12,60,000
			जनसंख्या 1 लाख तक	रुपये 18,00,000
			जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक	रुपये 24,00,000
11	एफ.एल.3 क	शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति (टीप:- नगर की सीमा से 10 कि. मी. परिधि के शॉपिंग माल में स्थित एफ.एल.3क लायसेंस की लायसेंस फीस भी उपरोक्तानुसार होगी)	लायसेंस फीस	रुपये 18,00,000
			जनसंख्या 1 लाख तक	रुपये 24,00,000
			जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक	रुपये 31,20,000
12	एफ.एल.3 ख	विशेष रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 18,00,000
			जनसंख्या 1 लाख तक	रुपये 24,00,000
			जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक	रुपये 31,20,000
			जनसंख्या 3 लाख से अधिक	रुपये 31,20,000

13	एफ.एल.3 ग	छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत होटलों के लिए पर्यटन बार अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000
14	एफ.एल.4	असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति (संस्था हेतु क्लब लायसेंस)	लायसेंस फीस	रुपये 1,50,000
15	एफ.एल.4क	व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 8,50,000
			जनसंख्या 1 लाख तक	
			जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक	रुपये 12,25,000
			जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख तक	रुपये 16,00,000
		जनसंख्या 10 लाख से अधिक	रुपये 18,00,000	
16	एफ.एल. 5	मदिरा के विक्रय के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एक दिवसीय)	लायसेंस फीस	रुपये 20,000 प्रतिदिन
17	एफ.एल. 5क	मदिरा के उपभोग के लिये प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एक दिवसीय)	लायसेंस फीस	रुपये 10,000 प्रतिदिन
18	एफ.एल. 6	सैनिक कैंटीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000
19	एफ.एल. 7	सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000
20	एफ.एल. 8	सैनिक/अर्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) बल द्वारा संचालित विनोद गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) द्वारा विदेशी मदिरा कब्जे में रखने हेतु सैनिक कैंटीन क्लब अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,000
21	एफ.एल. 9	विदेशी मदिरा निर्माण बोतल भराई अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000
22	एफ.एल. 9क	विदेशी मदिरा विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति (प्रतिफ्रैन्चाइसी के अन्तर्गत)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
23	एफ.एल.10	प्रदायकर्ता का वितरण- नियंत्रण अनुज्ञप्ति (विदेशी मदिरा का थोक भण्डारण हेतु) (प्रति गोदाम सी.एस.बी.सी. हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
24	एफ.एल.10क	राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति (प्रति गोदाम)	लायसेंस फीस	रुपये 20,00,000

25	एफ.एल.10ख	राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति (प्रति गोदाम)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
			ऐसे एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्ति जिनकी वर्ष 2022-23 में सी.एस. बी.सी.एल. के समस्त गोदामों में भण्डारित/आमद कुल मदिरा की राशि (लैडिंग प्राईस सी.व्ही.डी. सहित) रुपये 15 करोड़ से अधिक न हो।	
			ऐसे एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्ति जिनकी वर्ष 2022-23 में सी.एस. बी.सी.एल. के समस्त गोदामों में भण्डारित/आमद कुल मदिरा की राशि (लैडिंग प्राईस सी.व्ही.डी. सहित) रुपये 15 करोड़ से अधिक हो।	रुपये 10,00,000
26	ख-1	यवासवनी (ब्रूअरी) लायसेंस (बीयर उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000
27	डब्ल्यू-3	वाईनरी लायसेंस (वाईन उत्पादन हेतु)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000
28	लेबल रजिस्ट्रेशन	विदेशी मदिरा हेतु लेबल रजिस्ट्रेशन	रजिस्ट्रेशन फीस	नवीन/मॉडिफिकेशन लेबल हेतु रुपये 1,00,000 एवं नवीनीकरण हेतु रुपये 50,000 प्रति लेबल
29	लेबल रजिस्ट्रेशन	देशी मदिरा हेतु लेबल रजिस्ट्रेशन (नवीन नीति के अंतर्गत)	रजिस्ट्रेशन फीस	नवीन/मॉडिफिकेशन लेबल हेतु रुपये 1,00,000 एवं नवीनीकरण हेतु रुपये 50,000 प्रति लेबल